

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
314 / 2023

दायर दिनांक
06.09.2023

निर्णय दिनांक
26.02.2024

उनवान

1. श्री पेमा पिता खेमा जी जाति गाडरी आयु व्यस्क निवासी पांसल तहसील एवं जिला भीलवाडा
2. श्री भेरू पिता भोलाजी जाति गाडरी आयु व्यस्क निवासी पांसल तहसील एवं जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति जमनी पुत्री देबीलाल जी पत्नी नारायण जी जाति गाडरी आयु व्यस्क निवासी गाडरी मोहल्ला तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्री प्यारेलाल पिता देबीलाल गाडरी आयु व्यस्क निवासी गांधीनगर गाडरी खेडा जिला भीलवाडा
3. श्रीमति प्रेमदेवी पुत्री देबीलाल जी पत्नी उदयलाल जी जाति गाडरी आयु व्यस्क निवासी कोटडी ग्राम पंचायत दरीबा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
4. श्री भंवरलाल पिता सोहनलाल जी जाति गाडरी निवासी गांधीनगर गाडरी खेडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज)
5. श्री कालूराम पिता सोहन लाल जी जाति गाडरी आयु व्यस्क निवासी गांधीनगर गाडरी खेडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
6. श्रीमति गलकु पुत्री देवीलाल जी जाति गाडरी निवासी गांधीनगर गाडरी खेडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
7. नगर विकास न्यास भीलवाडा (राज०)
8. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब भीलवाडा (राज०)

-विपक्षीगण


उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी मांगी लाल सेन

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पांसल प०ह० पांसल-प्रथम भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 1119 की अभिलिखित आराजियात 3932 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3667 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा


प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि पांसल प0ह0 पांसल-प्रथम भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 1119 की अभिलिखित आराजियात 3932 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3667 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा